



अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

डाण्डा लखौण्ड, सहस्रधारा रोड, देहरादून -248001

ई-मेल: ayushmanuttarakhand@gmail.com



अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना की अध्यक्षता में दिनांक—

17 जून 2019 को 3 बजे आहुत कार्यकारिणी समिति की बैठक का कार्यवृत्तः—

पत्रांक—अ0आ0उ0यो0 / कार्यवृत्त / 2019-20 / २१६

दिनांक:- २५.६.२०१९

बैठक में उपस्थित कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का विवरण—

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
- निदेशक, प्रशासन, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
- निदेशक, मेडिकल एवं क्वालिटी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
- निदेशक, क्लेम मैनेजमेंट, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।

अन्य प्रतिभागियों का विवरण—

- प्रशासनिक अधिकारी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
- वरिष्ठ वित्त प्रबंधक, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
- आई0टी0 सह डाटा प्रबंधक, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।

उक्त बैठक में निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई एवं निर्णय लिए गए जिनका विवरण निम्नानुसार है:

- अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध प्रिया हॉस्पिटल, लक्सर रोड, धनपुरा, हरिद्वार को निर्गत आदेश अ0आ0उ0यो0 / 2019-20 / 194 दिनांक 25 मई 2019 के क्रम में प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत निर्गत आदेश के उपरांत कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कार्यकारिणी समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। प्रकरण पर समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। (कार्यवाही— निदेशक, प्रशासन)
- अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध जसपुर मैट्रो हॉस्पिटल, आवास विकास, निकट तहसील रोड, पत्रमपुर, जसपुर जनपद ऊधम सिंह नगर को निर्गत कारण बताओ नोटिस सं0 अ0आ0उ0यो0 / 2019-20 / 193 दिनांक 25 मई 2019 के क्रम में प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत निर्गत कारण बताओ नोटिस के उपरांत कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कार्यकारिणी समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। प्रकरण पर समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। (कार्यवाही— निदेशक, प्रशासन)
- अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध कृशन हॉस्पिटल, आर.आर. क्वाटर न0 01, ऑपोजिट गुरुनानक गर्ल्स इंटर कॉलेज, काशीपुर बायपास रोड, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर को निर्गत कारण बताओ नोटिस सं0 अ0आ0उ0यो0 / 2019-20 / 221 दिनांक 01 जून 2019 के क्रम में प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत निर्गत कारण बताओ नोटिस के उपरांत कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कार्यकारिणी समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। प्रकरण पर समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। (कार्यवाही— निदेशक, प्रशासन)
- अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध बृजेश हॉस्पिटल, नियर एक्सिस बैंक, शिवलालपुर चौराहा, रामनगर, नैनीताल को निर्गत कारण बताओ नोटिस सं0 अ0आ0उ0यो0 / 2019-20 / 226 दिनांक 01 जून 2019 के क्रम में प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत निर्गत कारण बताओ नोटिस के उपरांत कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कार्यकारिणी समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। प्रकरण पर समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। (कार्यवाही— निदेशक, प्रशासन)

17.6.19

5. अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध जीवन ज्योति हॉस्पिटल, टिकमपुर, सुल्तानपुर, लक्सर रोड, हरिद्वार को निर्गत कारण बताओ नोटिस सं 030आ0उ0यो/2019-20/222 दिनांक 01 जून 2019 के क्रम में प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत निर्गत कारण बताओ नोटिस के उपरांत कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कार्यकारिणी समिति के समुख प्रस्तुत किया गया। प्रकरण पर समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। **(कार्यवाही- निदेशक, प्रशासन)**
6. अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध आरोग्यम मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, एन0एच0 73, करौंदी, भगवानपुर, रुड़की, जनपद हरिद्वार को निर्गत कारण बताओ नोटिस सं 030आ0उ0यो/2019-20/233 दिनांक 04 जून 2019 के क्रम में प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत निर्गत कारण बताओ नोटिस के उपरांत कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कार्यकारिणी समिति के समुख प्रस्तुत किया गया। प्रकरण पर समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। **(कार्यवाही- निदेशक, प्रशासन)**
7. अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अली नर्सिंग होम, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर, को निर्गत कारण बताओ नोटिस सं 030आ0उ0यो/2019-20/223 दिनांक 01 जून 2019 के क्रम में प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत निर्गत कारण बताओ नोटिस के उपरांत कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कार्यकारिणी समिति के समुख प्रस्तुत किया गया। प्रकरण पर समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। **(कार्यवाही- निदेशक, प्रशासन)**
8. अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध सहोता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, न्यूरोट्रोमा सैंटर, ऑपोजिट जसपुर बस स्टैड, मुरादाबाद रोड, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर, को निर्गत कारण बताओ नोटिस सं 030आ0उ0यो/2019-20/224 दिनांक 01 जून 2019 के क्रम में प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत निर्गत कारण बताओ नोटिस के उपरांत कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कार्यकारिणी समिति के समुख प्रस्तुत किया गया। प्रकरण पर समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। **(कार्यवाही- निदेशक, प्रशासन)**
9. अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध विनोद आर्थो क्लीनिक, 6-इंदर रोड, देहरादून को निर्गत कारण बताओ नोटिस सं 030आ0उ0यो/2019-20/225 दिनांक 01 जून 2019 के क्रम में प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत निर्गत कारण बताओ नोटिस के उपरांत कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कार्यकारिणी समिति के समुख प्रस्तुत किया गया। प्रकरण पर समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। **(कार्यवाही- निदेशक, प्रशासन)**
10. अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध देवकी नन्दन हॉस्पिटल, तहसील रोड, काशीपुर जनपद ऊधमसिंह नगर को निर्गत कारण बताओ नोटिस सं 030आ0उ0यो/2019-20/246 दिनांक 10 जून 2019 के क्रम में प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत निर्गत कारण बताओ नोटिस के उपरांत कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कार्यकारिणी समिति के समुख प्रस्तुत किया गया। प्रकरण पर समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। **(कार्यवाही- निदेशक, प्रशासन)**
11. अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध जनसेवा हॉस्पिटल, सिद्दीकी मार्केट, काशीपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर को निर्गत कारण बताओ नोटिस सं 030आ0उ0यो/2019-20/247 दिनांक 10 जून 2019 के क्रम में प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत निर्गत कारण बताओ नोटिस के उपरांत कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कार्यकारिणी समिति के समुख प्रस्तुत किया गया। प्रकरण पर समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। **(कार्यवाही- निदेशक, प्रशासन)**
12. श्री महन्त इन्द्रेश चिकित्सालय, देहरादून द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत लाभार्थी श्रीमती पिंकी प्रसाद को चिकित्सा उपचार अनुमन्य होने पर भी उपलब्ध न कराए जाने के सम्बन्ध में जारी आदेशों के सापेक्ष संबंधित चिकित्सालय की अपील पर विचार एवं निर्णय हेतु कार्यकारिणी समिति के समुख

प्रस्तुत किया गया। जिस पर विचार करते हुए संबंधित चिकित्सालय के जवाब से संतुष्ट न होने के कारण अपील निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा speaking order पारित किया जाये।

(कार्यवाही-निदेशक, प्रशासन)

13. राज्य स्वास्थ्य अभिकरण में स्टाफ की रिक्तियों को भरे जाने हेतु तैयार आर०एफ०पी० पर चर्चा करते हुए आर०एफ०पी० में रिक्त पदों की संख्या का वर्णन न करते हुए केवल पदनाम व योग्यता वर्णित की जाये एवं संशोधन उपरांत मुख्य कार्यकारी अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई की जाये।

(कार्यवाही-निदेशक, प्रशासन)

14. Pre-authorization से लेकर क्लेम के भुगतान एवं उन्हें अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में समयसारिणी सहित तैयार SOP (Standard Operating Procedures) के सम्बन्ध में वैठक में की गई चर्चा के अनुसार संशोधित कर पत्रावली पर प्रस्तुत करते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(कार्यवाही-निदेशक, प्रशासन)

15. राज्य के भीतर के ऐसे चिकित्सालय जो कि डी-इम्पैनल कर दिये गये हैं, ऐसे चिकित्सालय जो कि एकल चिकित्सक द्वारा संचालित किये जाते हैं एवं ऐसे चिकित्सालय जिनकी जाँच प्रक्रिया लंबित है के दावों के सापेक्ष चिकित्सालयों के लंबित बीजकों के भुगतान पर की गई चर्चा के अनुसार पत्रावली पर प्रस्तुत करते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(कार्यवाही- SAFU)

16. योजना के अंतर्गत लगभग 25 चिकित्सालयों द्वारा रु० 100 के Stamp Paper में पंजीकृत किये जाने हेतु उचित माध्यम से (File Processing) निदेशक मेडिकल एवं क्वालिटी, अ०आ०उ०यो० द्वारा अनुमोदन उपरान्त, निदेशक प्रशासन, अ०आ०उ०यो० को प्रस्तुत की गई है, जो आतिथि तक हस्ताक्षरित हेतु लंबित हैं, उक्त निजी चिकित्सालयों द्वारा आकस्मिक परिस्थिति में योजना के अंतर्गत चिकित्सा उपचार का लाभ प्रदान भी किया जा चुका है उपरोक्त वर्णित चिकित्सालयों के अनुबंध हस्ताक्षरित किये जाने एवं भुगतान के सम्बन्ध में अग्रसारित पत्रावली मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सम्मुख तत्काल प्रस्तुत किया जाये।

(कार्यवाही-निदेशक, प्रशासन)

17. अ०आ०उ०यो०/२०१९-२०/यूजर पोर्टल/०८/२०० दिनांक 27 मई 2019 के माध्यम से अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत दिनांक 16 मई 2019 के द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में योजना के अंतर्गत प्रयोग होने वाले पोर्टल के टी०एम०एस० लॉगईन आई०डी० का access पूर्व की भाँति डॉ० आकाश श्रीवास्तव, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण प्रबंधक, क्लेम मैनेजमेंट द्वारा किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। चूंकि डॉ० आकाश श्रीवास्तव, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण प्रबंधक के 6 weeks complete bed rest में होने के कारण कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ है, इस क्रम में पोर्टल के टी०एम०एस० लॉगईन आई०डी० का access निदेशक, क्लेम मैनेजमेंट के सुपरविजन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित अधिकारियों के माध्यम से ही कराया जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि दिनांक 22 जून 2019 तक लंबित क्लेमों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही-निदेशक, क्लेम मैनेजमेंट)

18. क्रियान्वयन सहायता एजेंसी द्वारा किये जा रहे प्रतिदिन के Pre-auth approval/rejections, Claims approval/rejections एवं Queries का सुपरविजन प्रतिदिन के आधार पर किया जायेगा। इस सम्बन्ध में एक व्यवस्था विकसित करके पत्रावली प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही- SAFU)

19. क्रियान्वयन सहायता एजेंसी Pre-auth/Claim processing/queries/rejection के सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की गाइडलाइन्स के आधार पर तथा अभी तक के अनुभव के आधार पर एक Standardized list तैयार कर के पत्रावली पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(कार्यवाही-SAFU)

(R.K. ०६.८)

अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।


(युगल किशोर पंत)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

पत्रांक-अ0आ0उ0यो0 / कार्यवृत्त / 2018-19 /

तददिनांकित।

प्रतिलिपि:

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन के सादर संज्ञानार्थ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।


3. महानिदेशक, चिऽस्वा० एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।

4. निदेशक, प्रशासन, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।

5. निदेशक, वित्त, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।


6. निदेशक, कलेम मैनेजमेंट, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।

7. निदेशक, मैडिकल एवं क्वालिटी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।


(डा० अभिषेक त्रिपाठी)

निदेशक-प्रशासन
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

अनुमोदित।



(दिलीप कुमार कोटिया)

अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति

अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना